

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

वाद सं- 123 / 2018

धारा-107 द०प्र०सं०

राम कृष्ण मल्ली

बनाम चोघनी देवी वगैरह

आदेश की सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं दिवसीय तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एन 123/2018 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी सुनिता देवी के अपराधिकी सं०- 42/18 दिनांक-08-09-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि घर से के सामने सामने रहने के कारण बकरी घर के पास आने जाने की लैक होने पर में विवाद</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करे कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरारी/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उरारी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 12/10/18 को उपस्थापित करे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

19-07-19

कर्मिलेख उपस्थापित / प्रथम पत्र
 अनुपस्थित दिनांक पत्र उपस्थापित / उक्त
 वाद के 6(छः) माह की अवधि पूर्ण
 है। उकी 3 अर्थात् वाद कालबाधित है
 गया है। अतः वाद के कर्मिलेख की
 कारवाही बन्द की गयी है।

(Signature)